262

संख्या–218/XXVII(6)/2013

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
कोषागार एवं वित्त सेवाएं,
उत्तराखण्ड देहरादून।

वित्त अनुभाग–6 देहरादूनः दिनॉक 11 अप्रैल, 2013

विषय– प्रदेश के विभिन्न उपकोषागारों में द्वितालक सेफ में सामग्रियों के रख–रखाव की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या– 39/XXVII(6)/2013 दिनांक 18 जनवरी, 2013 जिसके द्वारा राज्य के सभी उप कोषागारों में द्वितालक कक्ष की व्यवस्था को समाप्त करते हुए नवीन व्यवस्था दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से लागू किये जाने के अनुक्रम में आपके पत्र संख्या– 3038/नि0को0वि0से0/डबललॉक/2012 दिनांक 31 मार्च, 2013 के अनुसार उपकोषागारों में नयी व्यवस्था निम्न प्रक्रियानुसार लागू किये जाने की एतत्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. शासनादेश के साथ संलग्न सूची में दर्शाये गये 20 उप कोषागारों में निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवाएं द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध कराया गया, द्वितालक सेफ इसके लिये चिन्हित कक्ष में उपकोषाधिकारी की अभिरक्षा में रहेगा। शेष 46 उप कोषागार जहाँ द्वितालक अलमारी पहले से स्थापित हैं, को उपकोषाधिकारी की अभिरक्षा में द्वितालक सेफ के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा। उक्त 66 उप कोषागारों में बीमा एजेन्सी से बीमा होते ही द्वितालक कक्ष की सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस गार्द स्वतः ही पुलिस विभाग को हस्तान्तरित हो जायेंगे।

2. उप कोषागार के द्वितालक सेफ में किसी सरकारी कार्मिक, गैर–सरकारी व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा अन्य स्थानीय संस्थाओं का व्यक्तिगत रूपया अथवा कोई भी समान न तो अभिरक्षा के लिये स्वीकार किया जाय न ही रखा जाय। अन्य विभागों अथवा व्यक्तिगत लोगों के नगद की तिजोरियों तथा बहुमूल्य वस्तुओं की अभिरक्षा एवं निरीक्षण से सम्बन्धित उपकोषागार नियम संग्रह के नियम– 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40 में निर्धारित प्रक्रिया अब लागू नहीं होगी। उप कोषागार नियम संग्रह के नियम–35 के अनुसार उपकोषागार का वर्ष में दो बार निरीक्षण, एक बार विस्तृत एवं एक बार आकस्मिक का दायित्व सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/

वरिष्ठ कोषाधिकारी का होगा तथा निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें के अधिकारियों द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

3. द्वितालक सेफ में नकदी एवं रखे गये स्टाम्पों के मूल्य का कुल योग एक बार में उतना ही होगा जितना संलग्न सूची में सम्बन्धित उपकोषागार के लिये के निर्धारित किया गया है। इससे अधिक की नकदी/स्टाम्प रखे जाने अथवा रखी हुयी पाये जाने पर सम्बन्धित उप कोषाधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगा।

4. द्वितालक सेफ के लिये निर्धारित सीमा वह निर्धारित सीमा है, जो एक बार में बैंक से प्राप्त नकदी अथवा एक बार में प्राप्त स्टाम्पों का कुल मूल्य अथवा एक बार में द्वितालक सेफ से बैंक में चालान द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि से अधिक न हो। "उदाहरण स्वरूप जैसे किसी उपकोषागार की लेन–देन की सीमा 5.00 लाख निर्धारित है तो किसी भी कार्यदिवस को द्वितालक सेफ में रखी गयी नगदी एवं स्टाम्पों के मूल्यों का कुल जोड़ 5.00 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार एक दिन में बैंक से प्राप्त होने वाली धनराशि का मूल्य द्वितालक में रखी गयी नकदी/स्टाम्पों के मूल्य से जोड़ने पर उसका योग रू0 5.00 लाख से अधिक न हो। इसी प्रकार द्वितालक सेफ से एक बार विक्रय हेतु निकाले गये स्टाम्पों का मूल्य व नकदी के मूल्य का जोड़ तथा द्वितालक कक्ष में अवशेष नकदी/स्टाम्पों के कुल मूल्य का जोड़ किसी भी कार्य दिवस में 5.00 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।" इससे **अधिक मूल्य की नकदी/स्टाम्पों के** रखे जाने पर किसी भी प्रकार की क्षति होने पर **सम्बन्धित उप कोषाधिकारी इसके लिये** उत्तरदायी होगा।

5. द्वितालक सेफ में एक बार कुल नगदी/स्टाम्पों की **सीमा शासनादेश के साथ संलग्न सूची के** अनुसार निर्धारित होगी (एक समय में **एकीकृत तथा हस्तान्तरित नगदी/स्टाम्प के कुल मूल्य** के योग के बराबर।)। द्वितालक **सेफ की सुरक्षा तथा पूरे उपकोषागार की सुरक्षा हेतु प्रत्येक वर्ष** व्यवसायिक बीमा ऐजन्सियों से टेंडर आमंत्रित करके (प्रोक्योरमैंट रूल्स, 2008 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत) सुनिश्चित की जाय। प्रक्रिया में सफल बीमा एजेन्सी "बीमा अवधि" में द्वितालक सेफ एवं उप कोषागार की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी होगी। (उपकोषागार नियम संग्रह अध्याय–2 "खजाने की अभिरक्षा" के पूर्व नियम अब लागू नहीं होंगे।)

6. एक तालक कक्ष के अवशेष के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड पांच के प्रपत्र 50–अ की भाँति का प्रपत्र द्वितालक सेफ के अवशेष के रख–रखाव के लिये प्रयोग किया जाय।

7. द्वितालक सेफ में ई-स्टाम्प एवं पूर्व प्रक्रिया से सम्बन्धित स्टाम्पों के अभिरक्षण, रख-रखाव की प्रक्रिया, निकासी एवं विक्रय की रीति वही होगी, जो वर्तमान में लागू है। स्टाम्पों की निकासी के लिये पूर्व निर्धारित प्रक्रिया में जो पंजिका इकहरे तालक में स्टाम्प रखने एवं विक्रय के लिये प्रयोग में लायी जा रही है, को द्वितालक सेफ से स्टाम्पों के निकासी एवं अवशेष के अंकन के लिये प्रयोग में लाया जाय।

8. भविष्य में उपकोषागारों में तहसील के नाजिर के बक्से एवं निर्वाचन से सम्बन्धित बक्से एवं सामग्री नहीं रखी जायेगी। उप कोषागारों के द्वितालक कक्ष में पूर्व से रखे गये तहसील के नाजिर के बक्से, निर्वाचन से सम्बन्धित बक्से, सामग्रियों तथा अन्य समान सम्बन्धित विभागों को वापस हस्तान्तरित कर दिया जाय।

9. उपकोषागारों में विभागों की रखी मूल्यवान सामग्री वापस कर दी जाय तथा जिन सामग्रियों को विभागों द्वारा डबल लाक में रखा जाना आवश्यक समझा जाय तो उसे सदर कोषागार के डबल लाक कक्ष में रखा जा सकता है।

उपरोक्त व्यवस्था के लागू होने के पश्चात् सम्बन्धित वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं एवं मैनुअलों में यथा समय बाद में तद्नुसार संशोधन किया जायेगा।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 218 (1)/ XXVII (6)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिग, माजरा, देहरादून।
2- महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी-1/105 इन्दिरानगर देहरादून।
3- प्रमुख सचिव, निर्वाचन/राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4- कमिशनर, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
5- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6- समस्त जिलाधिकारी।
7- समस्त कोषाधिकारी।
8- मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।
9- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस शासनादेश को उत्तराखण्ड पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या– 218 /XXVII(6)/2013 का संलग्नक

List of Subtreasuries for Limit to store Stamp/Cash			
48		Thal	100000
49	Rudraprayag	Agastyamuni	100000
50		Jakholi	100000
51		Ukhimath	200000
52	Tehri Garhwal	Deoprayag	500000
53		Ghansali	100000
54		Pratapnagar	100000
55		Thatyur	100000
56	U S Nagar	Bazpur	1000000
57		Gadarpur	200000
58		Jaspur	500000
59		Kashipur	1000000
60		Khatima	500000
61		Kichha	1000000
62		Sitarganj	1000000
63	Uttarkashi	Barkot	500000
64		Bhatwari	100000
65		Dunda	100000
66		Purola	500000
		Total	**19800000**

Note : Director Treasuries & Finance Services Uttarakhand can refix the limit for Sub Treasuries as per actual transactions in the future.

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव